'विनम्रता दाऊजी के जीवन का संस्कार थी'

कोटा, (निसं)। वैद्य श्री दाऊदयाल जोशी स्मृति संस्थान की ओर से शुक्रवार को स्व.दाऊदयाल जोशी की 28वीं पुण्यतिथि पर सीएडी स्थित पार्क में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा समेत भाजपा, कांग्रेस के कई नेताओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने संबोधित किया।

संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र खींची ने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। जिसमें 25 यूनिट एकत्र हुआ। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि दाऊदयाल जोशी कुशल संगठनकर्ता थे। दाऊजी का विराट व्यक्तित्व, उनकी उदारता और समर्पण को वर्षों तक याद रखा जाएगा। आज भाजपा कोटा में जिस स्वरूप में खड़ी है। उसके पीछे दाऊजी का अथक परिश्रम है। उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। उनके जीवन के संस्कार आज भी याद आते हैं।

संदीप शर्मा ने कहा कि स्व. दाऊजी मतभेदों से सदैव दूर रहे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में सरलता थी। विनम्रता दाऊजी के जीवन का संस्कार थी। दाऊजी का जीवन सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश बिरला ने कहा कि दाऊदयाल जोशी के मन में कभी भेदभाव का भाव नहीं रहा। वे सभी कार्यकर्ताओं को स्नेह करते थे। उन्होंने कोटा को नई ऊंचाईयां प्रदान की। उनका साफा संसद में गूंजता था और राजस्थान की अमिट छाप छोड़ता था। दाऊदयाल जोशी के पदचिन्हों पर चलकर हाडोती का नाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आगे बढ़ा रहे हैं।

कोटा में स्व. दाऊदयाल जोशी की 28वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है।

पूर्व महापौर महेश विजय ने कहा कि 28वीं पुण्यतिथि के बाद भी दाऊजी का चरित्र सजीव और साकार नजर आता है। उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन सदैव अजेय रहा। कार्यकर्ताओं के प्रति उनका प्रेम अटूट था। भारत विकास परिषद् के अध्यक्ष श्याम शर्मा ने कहा कि दाऊदयाल जोशी के जीवन से कुछ सीखें तो सामान्य व्यक्ति भी सफल राजनेता बन सकता है। दाऊजी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन प्रेरणा देता है।

उन्होंने संघर्ष करते हुए जनसंघ को भाजपा तक पहुंचाया, यही हमारी विरासत है। उनके जीवन को आत्मसात् करें तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

■ 'दाऊजी का जीवन सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा'

रविंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन को खड़ा करने में दाऊजी का अप्रतिम योगदान सदैव याद रहेगा। दया और करूणा की असीम अभिव्यक्ति वाले दाऊजी के पदचिन्हों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। संस्थान के अध्यक्ष योगेन्द्र खींची ने संचालन करते हुए स्व.दाऊदयाल जोशी की जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। संस्थान के महामंत्री मृगेंद्र जोशी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री हीरेन्द्र शर्मा, पूर्व देहात अध्यक्ष एलएन शर्मा, जटाशंकर शर्मा ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

कॉलेज का नाम दाऊजी के नाम पर रखने पर जताया आभार:- सभा में विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से 22 करोड़ की लागत से आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया गया है। जिसका नाम वैद्य दाऊदयाल जोशी के नाम पर रखा गया है। इसके लिए स्पीकर बिरला का आभार प्रकट करते हैं।

डॉ. अनिल दासवानी आरडीए कोटा के होंगे नए उपाध्यक्ष

कोटा, (निसं)। आयोजित रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा की आमसभा में डॉ.अनिल कुमार दासवानी, को आरडीए कोटा के उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चयनित किया गया।

इस अवसर पर डॉ. दासवानी ने पद की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए चिकित्सकों, विशेषकर रेज़िडेंट डॉक्टर्स के अधिकारों, समस्याओं एवं हितों के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। डॉ.दासवानी ने समस्त रेज़िडेंट साथियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके विश्वास को कायम रखने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में डॉ.हेमंत शर्मा (अध्यक्ष, कोटा), डॉ.सुखवीर (महासचिव), डॉ.राजेंद्र, डॉ.आसिम, डॉ. आदित्य शर्मा सहित अनेक रेज़िडेंट डॉक्टर्स उपस्थित रहे। सभी ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं तथा उनके कार्यकाल के सफल रहने की कामना की।

गुगोर गांव में अंतर्राज्जीय पुलिस चौकी का भूमि पूजन

■ 'गुगोर चौकी प्रारंभ होने से अपराधों में कमी आएगी'

■ 'पुलिस आमजन की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है'

छबड़ा (निसं)। मध्यप्रदेश की सीमा से सटे गुगोर गांव में शुक्रवार को विधायक प्रतापसिंह सिंघवी व एसपी अभिषेक अंदासु ने अंतर्राज्जीय पुलिस चौकी का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को एएसपी राजेष चौधरी व वरिश्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रधान हरिओम नागर, छीपाबड़ौद प्रधान नरेष मीणा, डीएसपी ताराचंद बंशीवाल मंचासीन रहे।

यहां विधायक सिंघवी ने कहा कि वे क्षेत्र को परिवार मानकर ही सेवा कार्य करते आ रहे हैं। सिंघवी ने चौकी निर्माण के लिए विधायक कोश से 5 लाख रूपए देने की घोशणा की। उन्होने एसपी से उनके क्षेत्र के थानो में नफरी की कमी को दूर करने की बात रखी। विधायक ने सीआई राजेष खटाना की कार्यषैली की जमकर प्रषंसा की।

एनिकट निर्माण से पेयजल समस्या से मिलेगी निजात:- सिंघवी ने कहा कि गुगोर पार्वती नदी व कछावन में 70 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एनिकट से ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी और खेती के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

पुलिस आमजन की सेवा में तत्पर:- एसपी अभिशेक अंदासु ने कहा कि पुलिस आमजन की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सभी लोगो को पुलिस प्रषासन का सहयोग करना चाहिए। आपके सहयोग से पुलिस कर्मियो के कार्य करने की क्षमता व शक्ति बढ़ती हैं।

गुगोर में चौकी निर्माण के दौरान पुलिस की मौजूदगी से भी क्षेत्र में अपराधो में कमी आएगी। एसपी ने क्षेत्र के युवाओं से बडी संख्या में पुलिस की सीएलजी बैठको में भाग लेने एवं सहयोग कर जुडने की अपील की। एसपी ने विधायक सिंघवी द्वारा किए जा रहे पुलिस प्रषासन के सहयोग के लिए उनका आभार जताया।

हाईलेवल ब्रिज के लिए जताया आभार:- सरपंच राजेंद्र खारोल ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और सम्बोधन में विधायक सिंघवी द्वारा पार्वती नदी पर 18 करोड की लागत से बनाए गए हाईलेवल ब्रिज पर भी आभार जताया। संचालन सीआई राजेश खटाना ने किया।

सरस ब्रांड से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल जल्द उपलब्ध होगा : चैनसिंह राठौड़

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक शुक्रवार को सरस सभागार में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन चैनसिंह राठौड़ ने की। प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा ने बताया कि बैठक में आरसीडीएफ के प्रतिनिधि एवं संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में संघ की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही दुग्ध क्रय-विक्रय दरों की पुष्टि, संचालक मंडल में रिक्त पदों पर सहवरण, नई सहकारी समितियों के गठन सहित कुल 12 बिंदुओं पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

■ कोटा-बूंदी दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक में दो नए संचालक नियुक्त, 14 नई समितियों को मिली मान्यता

कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक सरस सभागार में आयोजित की गई है।

अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि शीघ्र ही कोटा की जनता को शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह पानी अत्याधुनिक शुद्धिकरण संयंत्रों से तैयार कर "सरस जल" ब्रांड नाम से बाजार में उतारा जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से दो नए संचालक सदस्यों की घोषणा की गई, जिन्हें करतल ध्वनि के बीच सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। नवनियुक्त सदस्यों का फूल-मालाओं एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया।

बूंदी पंचायत समिति से रोशन लाल जाट एवं सुल्तानपुर पंचायत समिति से रासबिहारी सैन को संचालक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही संचालकों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई। राठौड़ ने यह भी बताया कि कोटा एवं बूंदी जिले में 14 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को मान्यता प्रदान कर नई समितियों का गठन किया गया है, जिससे दुग्ध संकलन और किसानों की सहभागिता को और मजबूती मिलेगी।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रतिनिधि अनिता पंवार, आरसीडीएफ प्रतिनिधि सुधांशु गुर्जर सहित गौरी शंकर, धनराज सैनी, जोधराज मीणा, बनवारी लाल नागर, माया किराड़, हरनाथ मीणा, रामेश्वर, फोरंता बाई एवं शैतान गुर्जर उपस्थित रहे।

डिविजनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स का भू-खण्ड आवंटन निरस्त

■ अन्य भूमि आवंटन प्रकरणों पर भी लिए गए निर्णय

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 14वीं बैठक का आयोजन आयुक्त ममता कुमारी तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में भूमि एवं संपत्ति से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए।

बैठक में नगर निगम कोटा द्वारा नवीन अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु बारां रोड, नया नोहरा क्षेत्र में भूमि आवंटन की मांग पर ग्राम कंवरपुरा में 0.32 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में ग्राम राजपुरा, ग्राम पंचायत गोदल्याहेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत नोनेरा पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण पर विचार करते हुए भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

बैठक में पशुपालन विभाग, कोटा द्वारा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र डोल्या के भवन निर्माण हेतु भूमि की मांग के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण पर विचार किया गया, जिस पर समिति द्वारा लगभग 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार मारवाड़ा चौकी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा 1500 वर्गमीटर भूमि 99 वर्ष की लीज पर नि:शुल्क आवंटन की मांग के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण पर विचार करते हुए ग्राम रामराजपुर में भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

कैनाल रोड, गुमानपुरा क्षेत्र मे डिविजनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज को आवंटित भू-खण्ड के प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान मे आया कि संस्था ने तत्कालीन न्यास द्वारा वर्ष 1974 में आवंटित भू-खण्ड पर आवंटन की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में न तो स्वीकृत मानचित्र अनुसार निर्माण कराया और न ही भू-खण्ड का आवंटित प्रयोजनार्थ उपयोग किया। साथ ही संस्था को प्रेषित पत्रों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने तथा विधिक राय के अनुसार आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर समिति द्वारा नियमानुसार उक्त भू-खण्ड का आवंटन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में प्राधिकरण के सचिव मुकेश कुमार चौधरी, उपायुक्त हर्षित वर्मा, मालविका त्यागी, निदेशक अभियांत्रिकी रवीन्द्र माथुर, निदेशक प्लानिंग भूपेश मालव, उपविधि परामर्शी बालमुकुंद मीना सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

फ्लाईओवर पर बाइक फिसली, एक की मौत, एक घायल

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी स्थित महाराणा प्रताप सर्कल के घूमते फ्लाईओवर पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार बाईक के फिसलने से हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

दोनों युवक तेज गति से बाइक पर सवार होकर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार से जा टकराई। उसके बाद यह बाईक वहां लगे एक बिजली के खंभे से भी टकरा गई। इस टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कुन्हाड़ी थानाधिकारी कौशल्या के अनुसार महावीर नगर विस्तार योजना निवासी सुरेंद्र सिंह और खेड़ली फाटक निवासी दिलीप सिंह बाइक पर सवार होकर नयापुरा की ओर जा रहे थे। गुरुवार देर रात रोटरी फ्लाईओवर से गुजरते समय तेज रफ्तार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया जहां खेड़ली फाटक निवासी दिलीप सिंह की मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद दोनों युवक सड़क पर पड़े हुए थे। राहगीरों ने उन्हें संभाला। उनकी सहायता की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाईक को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू की गई है।

हाड़ौती एलर्गोकॉन में एलर्जी के बढ़ते मामलों पर होगी गहन चर्चा

कोटा, (निसं)। देश में लगभग 20 से 25 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की एलर्जी से प्रभावित है। श्वसन तंत्र से जुड़ी एलर्जी के प्रमुख कारणों में हाउस डस्ट माईट, कॉकरोच, मच्छर, फफूंद, जानवरों का फर, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ तथा पेड़-पौधों के पराग कण शामिल हैं। हाउस डस्ट माईट का आकार बाल से लगभग 10 गुना छोटा होता है, इसलिए यह आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी यह एलर्जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है।

पराग कण भी एलर्जी के प्रमुख कारणों में से एक हैं। देश में लगभग 9 से 30 प्रतिशत जनसंख्या में आंखों की एलर्जी का मुख्य कारण पराग कण माने जाते हैं। यह समस्या विशेष रूप से 8 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक देखने को मिलती है। डॉ.केवल कृष्ण डंग एवं वनस्पति विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा की प्रोफेसर डॉ.नीरजा श्रीवास्तव द्वारा वायु एलर्जी और मानव स्वास्थ्य पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना (2008) के अध्ययन के आधार पर हाडौती क्षेत्र में एलर्जी उत्पन्न करने वाले लगभग 28 प्रकार के पेड़-पौधों की पहचान की गई है। इनमें प्रमुख रूप से विलायती बबूल, एरिया, गाजर घास, बथुआ, बंदर की रोटी, कांटेदार चौलाई, पीली कांटेली, अल्स्टोनिया तथा कोनोकार्पस शामिल हैं। डॉ.केवल कृष्ण डंग एवं डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि जायसवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट, कोटा (राजस्थान) और अस्थमा केयर सेंटर, कोटा (राजस्थान) पुलमोएवा फाउंडेशन सोसाईटी के तत्वावधान में और इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड एप्लाईड इम्यूनोलॉजी के सहयोग से 18 जनवरी 2026, रविवार सुबह 8.30 बजे से होटल मेनाल रेजीडेंसी, बूंदी रोड, कोटा पर हाड़ौती एलर्गोकॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर से लगभग 350 चिकित्सकों के भाग लेने की संभावना है।

सम्मेलन में बच्चों एवं वयस्कों में होने वाले एलर्जी रोगों जैसे अस्थमा, नाक की एलर्जी (छींके, नजला, नाक में खुजली), आंखों की एलर्जी (आंखों में लालिमा व पानी आना) तथा त्वचा की एलर्जी (चक्कते) के निदान एवं उपचार पर चर्चा की जाएगी।

मन में जब भी कोई व्यथा हो तो कथा अवश्य सुनें : पं. कमल किशोर नागर

■ श्रीमद्भावगत कथा के दूसरे दिन उमड़ा हाड़ौती एवं मालवा के भक्तों का सैलाब

कोटा, (निसं)। दिव्य गौसेवक संत पं.कमल किशोर नागर ने बकानी के पास थोबडिया खुर्द गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे सोपान में शुक्रवार को कहा कि जब हमारा चित्त, बुद्धि शांत नहीं हों, मन में हमेशा व्यथा बनी रहती हो तब कथा अवश्य सुनना चाहियें।

उन्होंने कहा कि सौ मण ज्ञान से एक तौला आचरण बनता है। जब अच्छा आचरण आत्मा में प्रवेश करेगा तब हमारा व्यवहार भी विनम्र हो जायेगा। पं.नागर ने एक प्रसंग सुनाते हुये कहा कि मन को स्थिर करने के लिये गहरा चिंतन करें। कथा-सत्संग में आकर पहले 40 मिनट मन को शांत व स्थिर करना है। क्योंकि मन शेर व शैतान की तरह इधर-उधर दौड़ता है।

कथा में भजन और भक्ति करने से यह शेर रूपी मन पिंजरे में बंद हो जाता है। इसे वश में करना आसान नहीं। स्थिर मन को उल्टा करो तो नम-नम अर्थात झुकना शुरू करता है। तभी इसमें तत्व ज्ञान का वास हो पायेगा।

मालवा एवं हाड़ौती अंचल से पहुंचे हजारों भक्तों से भरे पांडाल में उन्होंने सुमधुर भजन-'मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे..' सुनाकर सबके मन के तार अटूट भक्ति से जोड़ दिये। उन्होंने कहा कि गुरू एवं भक्त दोनों तत्व ज्ञानी हों। गुरू संत स्वभाव के हों, जिनके मुंह से राम नहीं निकले वह राक्षस समान है। गुरू के पास वाणी है तो भक्त पानी की तरह है। वाणी में वजन है तो मात्र 40 मिनट में मन स्थिर हो जाता हैं।

भक्ति व भगवान से संबंध जोड़ें:- नागरजी ने कहा कि चित्रकूट में तपस्वी शरीर और स्थिर मन वाले संत हैं। आपका मन कितना भी अस्थिर हो, उसे भक्ति के आगे झुका देते हैं। भागवत कथा में भी नित्य 40 मिनट मन को स्थिर करने का अभ्यास करें। इससे भगवान से जुड़ाव महसूस होने लगेगा। गुरू अपनी वाणी को स्थिर रखें तो पानी में दाल घुल जाती है। लेकिन एक पानी ऐसा भी होता है, जिसमें दाल नहीं घुलती है। जो व्यास पीठ से किसी की निंदा नहीं करते हैं उसके पानी में दाल घुल जाती है। इसलिये सदैव निंदक नियरे राखिये।

उन्होंने कहा कि एक कोरे वस्त्र पर कंकू की एक बूंद लगाने मात्र से वह पवित्र हो जाता है। इसी तरह, जीवन में गमी और कमी के समय यदि भक्ति का छींटा लग जाये तो उसका भगवान से संबंध बन जाता है। आपको जीवन में अपार धन, दौलत व पुत्र प्राप्त हो तब भागवत संबंध प्राप्त करने का प्रयास करें। धन तो कोई चोर भी प्राप्त कर लेता हैं।

उन्होने कहा कि जीवन में सोना असली है या नकली, घी असली है या नकली, यह सांप है या रस्सी, यह नहीं पहचान सके तो असली ब्रह्म ज्ञान कहां और कैसे मिलेगा, यह पता नहीं चलेगा। श्रीमद्भागवत कथा के प्रारंभ में 11 वर्षीय बाल संत गोविंद ने कहा कि मनुष्य यदि अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े तो अंत में वह सफल जरूर होता है। भले ही उसे कितना भी समय लग जाये। इसी तरह, परमात्मा भी उनकी बात अवश्य सुनते हैं, जिनसे उनका संबंध होता है।

इसलिये भगवान से संबंध बनाने का प्रयास जरूर करें। जीवन में झूठ व मिथ्या का साथ छोड़कर गोविंद का साथ करो। उन्होंने मधुर वाणी में भजन-'मेरी प्रीत न छूटे नंदलाल से..' सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

बाल संत ने कहा कि जब हंगामा करने से किसी को खूब पैसे मिल सकते हैं तो भजन करने से भगवान कैसे नहीं मिल सकते हैं। अंत में आयोजक परिवार ने श्रीमद्भागवत की महाआरती की।

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिको/उपायुक्त/भ.नि.अनु./2026/ दिनांक-

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्री सुखपाल पुत्र श्री हरदेव निवासी भूखण्ड संख्या 345-ए, शोपिंग सेन्टर कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 345-ए, शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 345-ए, शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट की लीज डीड नगर विकास न्यास कोटा की लीज डीड दिनांक 18.08.1973 से श्री कन्हैया लाल व ईश्वर लाल पुत्र श्री किशन लाल के पक्ष में जारी कि गई है। श्री ईश्वर लाल व कन्हैया लाल द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.1977 से उक्त भूखण्ड का विक्रय श्री हरदेव व श्री कृष्णा पिसरान् श्री छोगा के पक्ष में किया गया है। श्री कृष्णा द्वारा उक्त भूखण्ड में से स्वयं का 1/2 अविभाजित भाग श्री हरदेव पुत्र श्री छोगा के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र दिनांक 11.08.2004 से दान कर दिया गया। श्री हरदेव द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18.09.2019 से उक्त भूखण्ड़ की वसीयत श्री सुखपाल पुत्र श्री हरदेव के पक्ष में आलेखित की गई है। श्री हरदेव की मृत्यु दिनांक 06.10.2025 को हो चुकी है। आवेदक श्री सुखपाल पुत्र श्री हरदेव प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 18.09.2019 के आधार पर स्वयं के नाम नामातंरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 345-ए, शोपिंग सेन्टर क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित मे उपायुक्त द्वितीय कक्ष मे प्रस्तुत करें। याद मियाद आपत्ति मान्य नही होगीं।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2941 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-12.01.26

आवास संख्या 1-ए-19 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्रीमती प्रमिला कुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री मोहन लाल के नाम दिनांक 28.12.1996 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती प्रेमलता मालव पत्नी श्री मोहन लाल मालव द्वारा दिनांक 17.03.1997 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती प्रेमलता मालव पत्नी श्री मोहन लाल मालव द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 29.06.2020 को श्री गोरधन लाल पुत्र श्री सुगना मल एवं श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री गोरधन लाल को संयुक्त रूप से किया गया। श्री गोरधन लाल पुत्र श्री सुगना मल एवं श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री गोरधन लाल का नाम दिनांक 14.08.2025 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात् श्री गोरधन लाल पुत्र श्री सुगना मल एवं श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री गोरधन लाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 29.10.2025 को श्री अशोक कुमार दुगड़ पुत्र स्व. श्री धरम चन्द दुगड़ को किया गया। श्री अशोक कुमार दुगड़ पुत्र स्व. श्री धरम चन्द दुगड़ द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-19 महावीर नगर तृतीय, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अशोक कुमार दुगड़ पुत्र स्व. श्री धरम चन्द दुगड का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/ व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अशोक कुमार दुगड़ पुत्र स्व. श्री धरम चन्द दुगड का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अशोक कुमार दुगड़ पुत्र स्व. श्री धरम चन्द दुगड के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

MANGALAM CEMENT LTD.

Regd. Office: P.O. Aditya Nagar - 326520, Morak, Distt. Kota (Rajasthan)
CIN: L26943RJ1976PLC001705
Website: www.mangalamcement.com • e-mail: shares@mangalamcement.com

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates have been lodged with the Company by the transferee for transfer of shares as per SEBI Circular i.e. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated 6th November, 2018 and the registered shareholder(s) is not traceable as per the information provided by transferee.

Folio No.	Share Certificate No.		Distinctive Numbers		No. of Shares	Seller's Name	Buyer's Name
	From	To	From	To			
P003758	10430	10430	2720801	2720850	50	Purshottam Bhageria	Indu Jaggi

Any person having a claim in respect of the said share certificate(s) or any person(s) having any objection to the aforementioned Transfer of shares shall write/send his/her objection, in writing, at the abovementioned address or to company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. MAS SERVICES LIMITED, at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020, Phone: 011-26387281-83, Email: info@masserv.com within 30 days from the date of publication of this notice. After the expiry of said period, no claim will be entertained and the Company will be free to consider and Transfer the shares on merits and the Company and RTA shall not be responsible for any loss (financial or otherwise) caused to any person(s). The notice is also available on the website of the Company at https://www.mangalamcement.com/others.php.

For: Mangalam Cement Limited
Sd/-
Date : 15th January, 2026 Pawan Kumar Thakur
Place : Morak Company Secretary & Compliance Office

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/7164 प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक-15.01.26

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां
लोक सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता आत्मज श्री त्रिलोक चन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बाराँ	ग्राम-टोडी तहसील छबड़ा	53, 53/2 56, 56/2	रकबा 0.5312 है. (क्षेत्रफल 5312.00 व.मी.)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आपेक्ष है जो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपनी आपेक्ष / आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय 15 दिवस के भीतर-भीतर किसी आपेक्ष के अभाव में यह समझा जाऐगा कि किसी को आपेक्ष नही है और तदानुसार पत्रावली का निस्तारण कर दिया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15.01.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा, जिला, बाराँ (राज.)

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/7165 प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक-15.01.26

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां
लोक सूचना

श्री रामकल्याण आत्मज श्री बिरधी लाल काछी (कुशवाह) निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बाराँ	छबड़ा	227/1	रकबा 1.780673 है. (क्षेत्रफल 17806.73 व.मी.)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1956 की